(श्री f ... ...)

इसके बावजूद सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की इच्छुक है जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया है। यहां तक कि छठी पंचवर्षीय योजना 10,000 करोड़ रु० की विदेशी सहायता पर आश्रित है और विदेशी सहायता की राशि लगभग 35,000 से 40,000 करोड़ रु० हो जायेगी और इसके विनाशकारी प्रभाव का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिये अपनी आरम्भिक टिप्पणी में मैंने कहा था कि इस सरकार ने देश को साम्राज्यवाद को बेचने की ओर अग्रसर कर दिया है।

एक और मौलिक दोष है। वह है बेरोजगारी का प्रश्न जिसके बारे में आपकी बहुत बड़ी रूचि है और आपने अपना जीवन दाव पर लगा दिया है। बेरोजगारी की समस्या का वास्तविक परिमाण क्या है ? और सरकार इसे सुलझाने में असफल रही है और न ही इस समस्या से लड़ने के लिये इस सकार के पास कोई रणनीति ही है।

महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख के आंकड़ों के अनुसार 1985 तक पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10118 करोड़ हो जाएगी। कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 5.41 करोड़ हो जाएगी। छठी योजना के दौरान 3 करीड़ रोजगार मुहैया होने की संभावना है।

महोदय, बकाया बेरोजगारों की संख्या 2.44 करोड़ रह जाएगी। महोदय, यदि पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास उठाकर देखें तो आप पायेंगे कि योजना के बढ़ने के साथ-साथ बकाया बेरीजगारों की संख्या भी बढ़ी थी। आंकड़ों की ओर ध्यान दें। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बेरोजगारों की संख्या .53 करोड़ थी, द्वितीय योजना के अन्त में यह बढ़कर .71 करोड़ हो गई थी और इसके बाद तृतीय योजना के अंत में यह बढ़कर 9.6 करोड़ हो गई थी। चौथी योजना के बाद यह बढ़कर 1.71 करोड़ हो गई थी। इसका मतलब है कि पंचवर्षीय योजना के बाद यह संख्या 2.24 करोड़ थी और छठी योजना के बाद यह बढ़कर 2.41 करोड़ हो जायेगी।

20.26 (अध्यक्ष महोदय पीठासीना होते है) इसलिए, महोदय, बेरोजगारी के गंभीर समस्या को सुलझाने में यह सरकार असफल रही है। बेरोजगारी की विभीषिका से लड़ने के लिए कोई नीति बनाने में असफल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद।

श्री चित्त बसु : महोदय, अंतिम भाग के संदर्भ में, मेरा विचार है कि यह सदन, अपने विवेक से, इस सरकार के प्रति विश्वास की कमी अभिव्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री बोलें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद का उत्तर देना वास्तव में कठिन है। कोई नया विषय नहीं उठाया गया है। अधिकांश विषयों को पहले उठाया जा चुका है। इस वाद-विवाद के अंत में श्री अन्तुले से संबंधित प्रश्न उठाया गया था। इसे अन्तुले वाद-विवाद कहा ज़ा सकता है, अविश्वास पर चर्चा नहीं। विपक्ष के माननीय सदस्य उसी पुरानीब ातों के विवाद को जामा पहनाने के लिए नए कारण ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं कोई वकील नहीं हूं किन्तु मुझे कानून के बारे में कुछ पढ़ने का अवसर मिला था और मिला है—पिछले वर्षों में मुझे कानून पढ़ने

को विवश होना पड़ा था। मैं देखती हूं कि वह मामले के पक्ष में बोल रहे थे उनके तर्कों से उसी मामले का बहुत बड़ा विरोध हो रहा था। जो कुछ हमने सुना वह यह है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में बात करती हूं। इससे पहले जो लोग सत्ता में थे वे हमारी आलोचना नहीं कर सकते। यह उनकी खुश किस्मती है कि हम बदले की भावना से प्रेरित नहीं हैं। हम इन मामलों पर समय नष्ट करना नहीं चाहते। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके विरुद्ध उसके अपने ही साथियों ने गम्भीर और अकाठ्य आरोप न लगाए हों। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कीर्ति चर्चा का विषय भारत में ही नहीं सुदूर के कोने-कोने में न रही हो। उदाहरण के तौर 1978 में जब मैं लंदन में थी, मुझसे कहा गया। अब निर्दोषिता का जामा पहनना न तो उचित है और न सही बल्कि हास्यापद है।

गंभीर विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव उठाए जाते हैं।

यहां पर क्या-क्या मामले उठाए गए हैं? क्या इन मामलों पर पिछले कुछ दिनों तक घण्टों-घण्टों चर्चा नहीं हुई है? क्या आवश्यक सेवा रख रखाव विधेयक अगले दिन की प्रातः तक नहीं चला। महोदय, आपने स्वयं ही स्थिति को स्पष्ट किया था। श्री स्टीफन ने उन्हें बताया था कि यह बहस 22 घण्टों अथवा इतने समय तक चली थी। क्या यह एक ऐसा मामला है जिसको इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के रूप में उठाया जाए? और वह ऐसा ही मामला है जैसे कि अन्य प्रश्न उठाए जाते हैं। आप अंतुले प्रकरण को ही लीजिए। जब से यह पैदा हुआ है क्या इस पर दिन प्रतिदिन चर्चा नहीं की गई है।

एक माननीय सदस्य : बेरोजगारी के बारे में आपने क्या किया?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बेरोजगारी की पहले से ही चर्चा की गई है। शायद एक मानयीय सदस्य ने यह कहते हुए बेरोजगारी का उल्लेख किया था कि बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया गया है। पूरे सम्मान के साथ मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि केवल उन देशों को छोड़कर, यहां जन-संख्या बहुत ही कम है और जिनको बाहर से श्रमिक मंगाने पड़ते है, अन्य किस देश ने बेरोजगारी की समस्या को हल कर लिया है। यदि हमारी जनसंख्या छः मिलियन अथवा इसके आस-पास होती तो हम निश्चय ही इस समस्वा को हल कर लेते। किंतु हमारी जनसंख्या की जानकारी किसे नहीं है। जैसा कि मेरी मित्र मोहसीना किदवई ने बताया है कि जब कि हम लोगों को यह समझाने के लिए कि जनसंख्या की समस्या भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, और जब हम कार्यक्रमों को तेज करने के प्रयास कर रहे है, कुछ लोग को, विरोधी दल इस कार्यक्रम के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं।

दो या तीन लोगों ने यह कहकर अपनी नीति का समर्थन किया कि हमने अपनी पुरानी नीति को छोड़ दिया है, और हमारी अब इच्छा नहीं है। महोदय, यहां एक ऐसा दल है---मैं उसका नाम नहीं ले रही क्योंकि इससे केवल शोर मचेगा और मैं जानती हूं, कि सभी लोग थके हुए हैं और घरों जाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप नाम लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास घण्टों का काम पड़ा है। (व्यवधान) मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती। किन्तु ऐसे कुछ दल हैं, जिन्होंने झूठा प्रचार करना अपना मुख्य ध्येय समझा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ झूठा प्रचार नहीं किया गया ? ऐसे कितने लोगों का पता लगाया गया जिनकी जबरन नसबंदी की गई थी ? उनमें से कितने लोगों की मदद की गई ? ऐसे कितने लोग सामने आए ? जब वे लोग सत्ता में आ गए तो इनके बारे में इसके बाद कुछ भी नहीं सुना गया।

तत्कालीन सरकार ने हमारे उद्योगों के बारे में क्या किया ? इस बारे में बहुत बढ़-चढ़कर बातें की गई हैं कि हमारा औद्योगिक श्रमिकों पर, औद्योगिक श्रम पर कोई विश्वास नहीं रहा है। जनता शासन के दौरान क्या हुआ था ? क्या औद्योगिक श्रमिकों का उनमें विश्वास था। जब औद्योगिक श्रमिकों का उनमें विश्वास था तो उन्होंने हमें मत क्यों दिया ? मैं अपने माननीय मित्र से, जिन्होंने यह बहस प्रारम्भ की है यह पूछना चाहूंगी कि उन्होंने जतता पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बहस में कितनी बार भाग लिया। मैंने रिकार्ड देखा है। मुझे खेद है कि मुझे इसका एक भी सबूत नहीं मिला।

मैंने वर्ष 1978 में ऐसे दो उदाहरण देखे है। आपने जनता पार्टी की बात न की होती, किन्तु आपने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। वास्तव में···

श्री समर मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्री स्टीफन को···

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरी दृष्टि में यह नहीं आया। यदि आपने समर्थन किया है तो मैं आपकी बात को मानती हूं। किन्तु अभी थोड़ी ही देर पहले रिकार्ड दिखाया गया था·····

श्री समर मुखर्जी : आप इसे ठीक कर लें। मैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोला था और मत दिया था। उन्हें मेरा भाषण याद है। अगले दिन उन्होंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : हम इसका पता लगा लेंगे।

श्री समर मुखर्जी : उन्हें यह याद है, क्योंकि उन्होंने इसका उल्लेख किया था।

श्री सी० एम० स्टीफन: आपने वर्ष 1978 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था। आपने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था ; आपकी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव होगा। हम इसका मत लगा लेंगे। (व्यवधान)

आप क्यों खड़े हैं ? क्या आपने उनसे ज्यादा प्रभाशील हैं ?

श्री समर मुखर्जी : यह बिल्कुल मिथ्या हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आपकी बात को स्वीकार किया जाता है। यह एक ऐसी बात है, जिसकी आसानी से जांच की जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा है कि कि मैंने तो केवल यहां

उपलब्ध रिकार्ड ही देखा है। मुझे नहीं मालूम कि पहले क्या हुआ था। किन्तु मैंने जो कुछ पढ़ा है, इससे मुझे स्पष्ट होता है कि अविश्विास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया था। विश्वभर में तथा भारतवासियों में यह धारणा थी कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने, चाहे उन्होंने मत दिया हो अथवा नहीं दिया हो, इस बात का कोई महत्व नहीं है, कभी-कभी वे जनता पार्टी के विरुद्ध बोले,किन्तु मुख्य रूप से उन्होंने उनकी नीतियों का समर्थन किया·····(**व्यवधान**)। वहीं-नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता पार्टी का कभी समर्थन नहीं किया·····

श्रीमती इन्दिरा गांधी :·····और आज भी वे दक्षिणपंथियों का पक्ष ले रहे हैं और उस समय भी आप उनका पक्ष ले रहे थे और अब भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हो और यह मानते हुए कि आपके आन्दोलन से दक्षिणपंथियों को मत मिलेगा आप हमारे प्रयासों को कमजोर बनाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास कर रहे है। आप दक्षिण पंथी न बनना चाहें ; मैं इस बात से चिन्तित नहीं हूं कि आप चाहते हैं अथवा नहीं किन्तु आपके क्रियाकलापों से पहले और आज भी दक्षिणपंथी सामने आए हैं और आज भी आप उन्हें सुदृढ़ बना रहे है। और आपको बता देना चाहती हूं कि एक माननीय सदस्य ने मुझे बताया है। मैंने पूछा क्या आप समझते है कि दक्षिणपंथी विचारधारा से देश का भला हो जाएगा ? उन्होंने कहा : नहीं, हमसे देश खण्डित हो जाएगा ; इससे देश नष्ट हो जाएगा। किन्तु वे हमें स्पर्श करने में समर्थ नहीं होंगे।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सदस्य कौन है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : नाम बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं किसी नाम का उल्लेख नहीं कर रही। (व्यवधान)। किन्तु मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं हैं कि आप मेरे बारे में क्या कुछ सोचते हैं। आपने न केवल मुझ पर बल्कि मेरे पिता पर भी, जब वे जीवित थे, जहर उंडेला था। आप यह न समझिए कि मैं उन सब बातों को अथवा जो लोग कहते हैं उन्हें भूल गई हूं·····मुझे अब यह न बताइए कि उस समय आपने क्या कुछ कहा था और अब आप क्या कह रहे हैं। मैंने उन बातों को पढ़ा है, मेरे पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान है और यदि किसी को अपना ही इतिहास नहीं मालूम हो तो मुझे खेद हैं। मैं अपने पिता के साथ थी। मुझे मालूम है कि उन्हें किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। (**व्यवधान**) मुझे इतिहास में जाने के लिए आप बाध्य न कीजिए, क्योंकि इससे आपको दुःख होगा। मैंने एक बार पहले भी यह बात कही थी किंतु काप ऐसे मामलों में मेरी आलोचना करते रहे। उन्हें ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि कहा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि कहा था। (**व्यवधान**), अब सिर झुकाने का कोई लाभ नहीं है। यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आप चुप रहिए। मैं गलत तथ्यों को नहीं कर रही हूं। मैं गलत तथ्य की आदि नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में कभी जानबूझकर गलतबयानी नहीं की है। यदि मैं नहीं मानती, तो मैं गलती कर सकती हूं, किन्तु यह एक ऐसी बात है, जिससे मुझे जानकारी है, क्योंकि उस समय मैं इस कार्यवाही के काफी नजदीक थी। (**व्यवधान**) मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमें इन गुटबन्दियों, एक दल से दूसरे दल में लोगों के

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

जाने के बारे में, न केवल 1977 में बल्कि आगे का भी, काफी अनुभव हो चुका है। विभिन्न राज्यों में यह बात घटित हुई है किंतु न केवल भारतीय लोगों को अपितु विश्व के लोगों को यह देखने का अवसर मिला है कि ये विभिन्न दल अपने नामों, अपनी विचारधाराओं और अपनी नीतियों के प्रति कहां तक सत्यनिष्ठ थे ? केवल एक इच्छा के पीछे उन्होंने इन सब को तिलांजलि दे दी और वह इच्छा यह थी कि 'हम सब मिलकर इन्दिरा गांधी को सत्ता से हटा दें'। हम किसी प्रकार सत्ता को हथिया लें। यह केवल हमारा दल ही था कि उसने इस सब जहर और कठिनाइयों को झेला और ऐसा हम अपने आदर्शों और कारगर कार्यक्रमों के कारण ही कर पाए हैं।**(व्यवधान)**

हम कुछ मूलभूत नीतियों के प्रति कटिबद्ध हैं। यदि हम यह समझते है कि ये नीतियां उदीयमान भारत के लिए असंगत हैं, तो हमें उनमें परिवर्तन करना पड़ सकता है परन्तु मैं नहीं समझती कि ऐसा करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये वे मूलभूत सिद्धांत हैं, जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। परन्तु इन नीतियों के साथ-साथ हमें कुछ नए कदम भी उठाने पड़ते हैं। यदि कोई गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करना पड़ता है। यह वह काम है जिसे हमें अब पूरा करना है। जनता शासन के दौरान कोई छोटी-मोटी विकृति उत्पन्न नहीं की गई थी। समूचा ढांचा ही पूर्णतयः विकृत कर दिया गया था, चाहे वह रेलवे हो, चाहे उद्योग हो या कोई अन्य कार्यक्रम। मैं इन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहती थी। किंतु मुझे तो मात्र स्थिति को स्पष्ट करना है। मुझ पर व्यंग्य किया गया है कि मैंने आश्वासन दिया था कि वें लोग जो सरकार चला सकें। क्या आप समझते है कि हम काम नहीं कर रहे। यदि हमने कुछ न किया होता तो विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रगति सम्भव न होती।

जो भारत का नाम विदेशों में बदनाम करते थे, आज वे देखते हैं कि भारत का नाम फिर से उज्ज्वल हो गया है और आज वे ही लोग यह कह रहे है कि हमारी विदेश नीति सही नहीं है। **(व्यवधान)** मेरे पास यहां पर आंकड़े मौजूद हैं। मैं उन्हें पढ़कर सुना सकती हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : भ्रष्टाचार में वृद्धि के बारे में स्थिति क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यहां पर भ्रष्टाचार किसने बढ़ाया ? आप किसकी बात कर रहे हैं ? यह जनता पार्टी थी जिसने भ्रष्टाचार को प्रसार किया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिए। कृपया बैठ जाइए। बैठ जाइए। ठीक ढंग में व्यवहार कीजिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह दुर्भाग्यपूर्ण है। **(व्यवधान)** मैं नहीं झुक रही। **(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी, कृपया बैठ जाइए, क्या आप आपने स्थान पर बैठेंगे ? **(व्यवधान)**

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री जेठमलानी, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए। अब आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री राम जेठमलानी : यदि आप विशेषरूप से अनुरोध कर रहे हैं, तो मैं इसे वापस ले लूंगा। किंतु मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप स्पीकर हैं या मैं स्पीकर हूं, मुझे बता दीजिए। मेरा काम मुझे करने दीजिए।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : महोदय, यहां एक परम्परा है कि जब सदन का नेता बोल रहा होता है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें यह बात स्पष्ट कर दूंगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सोते हुए लोगों को आप जगा सकते हैं। आप उन्हें बताने का प्रयास कर सकते हैं किंतु अब वे जानबूझकर अपनी आँखें बन्द कर लें, तो उन्हें किसी बात के लिए आश्वस्त करना सम्भव नहीं होता। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति हो या देश की आन्तरिक स्थिति हो, सरकार निश्चय और उत्साह से काम करती रही है। विश्व के लोग जानते हैं कि आज भारत में कोई सरकार है, भानुमति का कुनबा नहीं। ऐसे ग्रुपों का मेल नहीं है, एक दल से दूसरे दल में जाने वाले वालों का मेल नहीं हैं, जहाँ अन्ततोगत्वा वे आज पहुंच गए हैं। 1980 में हमें विरासत में··· (**व्यवधान**)।

श्री पी० शिव शंकर :म होदय, कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। आपको मुझे इस परम्परा के बारे में अवश्य बताना चाहिए कि जब सदन का नेता बोल रहा हो, तो कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : 1980 में हमें जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी वह बिल्कुल जर्जर कर दी गई थी। वर्ष 1979-80 में कुल उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई और थोक मूल्य सूचकांक 23 प्रतिशत बढ़ गया था। आज विश्व बैंक के निष्पक्ष आंकलन के अनुसार हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन 7 से 8 प्रतिशत बढ़ा है। थोक मूल्य सूचकांक में जनवरी, 1980 में 23 प्रतिशत वृद्धि जनवरी, 1981 में घटकर 15 प्रतिशत रह गई और आज यह 9 प्रतिशत से भी कम रह गई है। मैं इस बात से पूर्णत : सहमत हूं कि जबतक इसका असर मूल्यों पर नहीं होता जनसाधारण को इन आँकड़ों से कोई फायदा नहीं हो सकता। परन्तु मूल्यों को नीचे लाने के लिए यह पहला कदम है। जनता शासन के दौरान मुद्रा स्फीति की दर बढ़ रही थी। हम इसको नीचे लाने में सफल हुए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यहां तक कि हमारे आलोचकों ते यह स्वीकार किया है कि हमने मूल्यों को स्थिर रखा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैंने बताया है कि, जब मूल्य आकाश को छूने लगे तो विरोधी दलों की ओर से मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब जनता पार्टी टूट रही थी तब कुछ लोगों ने इसके लिए आवाज उठाने का साहस जुटाया और जब पार्टी टूट गई तो उन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध शोर मचाना शुरू कर दिया। किंतु इससे पहले किसी ने इन बातों को कोई उल्लेख नहीं किया, यद्यपि उनके सत्ता में आने के तुरन्त बाद मूल्यों में वृद्धि शुरू हो गई थी।

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

भारत में मुद्रा स्फीति के बारे में लगातार लोगों को गुमराह किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदाराना ढंग से यह दावा नहीं कर सकता कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में मुद्रा स्फीति में शून्य की दर से वृद्धि हो सकती है। इन आंकड़ों में मुद्रा स्फीति की विश्व की औसत दर को दर्शाया गया है, किंतु मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रही कि वर्ष 1980 में चिश्व में शुद्रा स्फीति की औसतन दर 15% थी। लैटिन अमरीका में यह और 56.6% थी, पश्चिम एशिया के लिए यह 57.6% थी और अफ्रीका के लिए यह 17.6% थी। यहां तक कि औद्योगीकरण वाले देशों में भी मुद्रास्फीति की औसतन दर लगभग 11.3 थी। यदि हम लगातार उचित कदम उठाकर मुद्रा स्फीति की दर 9% से कम लाने में सफल हुए हैं तो निश्चित ही यह एक उपलब्धि है, जिसका श्रेय हम प्राप्त कर सकते है।

अब मै अपने आर्थिक आधारभूत ढांचे का उल्लेख करती हूं। 1980 में हमें विरासत में जर्जर अर्थव्यवस्था मिली थी। अब हमने महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बिजली, कोयला और रेलों को फिर से प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया है। (व्यवधान) एक्सीडेंटस, सेवोटेज किसने किया था ?

यदि आप उन लोगों को, जिन्होंने तोड़-फोड़ की थी, जिन्हें पर्याप्त आधार पर बर्खास्त किया गया था, पुनः काम पर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि इससे ठीक ढंग से काम होगा ?

प्रो० मधु दडवते : जब उन लोगों को भी, जिन्हें 1974 की हड़ताल में बर्खास्त किया गया था पहले वर्ष में नौकरी पर ले लिया गया था, मैंने 65 करोड़ रु० का मुनाफा दिया था, और यह राशि 124 करोड़ रु० हो गई थी। कृपया आप इस बात को देखिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं आपने शुरू में प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी प्रगति की थी। यह वो क्षण था जिसे हमें छोड़ दिया था, जैसा कि आपके बाद उन्हें शुरू करने में हमें कठिनाई थी। यदि देश ने इन्हें वहीं स्वीकारा होता, तो हम और तेजी से प्रगति करते।

रेलवे बजट में कानून पिछले वर्ष की 195 मिलियन टन ढुलाई क्षमता की तुलना में पिछले वर्ष 20 मिलियन टन की वृद्धि अर्थात् 216 मिलियन टन कर दिया गया है। इस अतिरिक्त 20 मिलियन टन में से लगभग 12.5 मिलियन टन अतिरिक्त यातायात की ढुलाई चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में पहले ही कर दी गई है। अतः हमें विश्वास है कि हम 215 मिलियन टन के बजट प्राक्कलन से ज्यादा प्रगति करेंगे और भारतीय रेलों में यह वर्ष राजस्व की दृष्टि से सबसे आगे होगा।

कोयले के उत्पादन के क्षेत्र में हसने पिछले वर्ष की समान अवधि में 9% से ज्यादा वृद्धि हासिल की है।

रेलवे के वारे में, मैं समझती हूं कि मैंने पहले ये आंकड़े नहीं बताए हैं, रेलवे ने पिछले की पहली तिमाही की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 15% अधिक माल की ढुलाई की और पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में विद्युत के उत्पाद में 17% की वृद्धि हुई है।

यह निर्णय करने का काम जनता का है कि क्या यह सरकार काम कर रही है या नहीं।

अब औद्योगिक उत्पादन की बात करती हूं। औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए है। इस बात का प्रमाण उत्पादन के तथ्यों से मिल जाएगा। चालू वर्ष की पहली तिमाही में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पाद में 26 प्रतिशत, उर्वरक के उत्पादन में 40 प्रतिशत और सीमेंट के उत्पादन सें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1979-80 की —1.4 प्रतिशत से आज औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की दर +11.1 प्रतिशत हो गई है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जनता को पुनः निर्णय करना है। हम सार्वजनिक क्षेत्र को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमने देश में तेल का अधिक उत्पादन करने पर पूरा जोर दिया है। हम तेल के आयात के समय में 1000 करोड़ रुपये की कमी करने में सफल हुए हैं। यह कोई साधारण सफलता नहीं है।

अनेक लोगों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इस वर्ष जन घण्टों की कम क्षति हुई है, यह भी एक उपलब्धि है।

यह कोई बुरी बात नहीं है कि हमें आवश्यक सेवा (रख रखाव) विधेयक लाना पड़ा है क्योंकि उन लोगों ने यह कह कर श्रमिकों को भड़काया है कि हमारा उनमें कोई विश्वास नहीं है····· (व्यवधान) हो सकता है यह आपका दृष्टिकोण हो। मैं अपना दृष्णिकोण बता रही हूं। यह प्रयास काफी जानबूझकर किया गया है। इसका कारण यह था कि कुछ लोगों की धारणा यह थी कि वे लोगों में इस बात को फैलाएं कि हमारी श्रमिकों में, किसानों में, और सिक्ख सुमुदाय सें कोई दिलचस्पी नहीं है, उन पर उद्योगों तथा कृषि का काफी भार रहता है। और हमें उनकी सत्यनिष्ठा और कार्य-कुशलता पर कोई सन्देह नहीं है। हमें अपने श्रमिकों की देश भक्ति पर कोई सन्देह नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि संकट के समय वे हमारे साथ रहे हैं। तब हमें किस बात का भय है ? हमें डर यह है कि ऐसे लोगों की संख्या इस देश में कम नहीं है जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन्हें गुमराह करते हैं, जिससे श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होता। और यदि आप धैर्य से करें, तो मैं इस बात का उत्तर देने का प्रयास कर रही हूं।

रक्षा उत्पादन संस्थानों में जबकि हमें उत्पादन सें वृद्धि करनी चाहिए थी, इनमें हाल की हड़ताल से न केवल हमारे उत्पाद में कमी आई अपितु हमें 137 करोड़ रु० की हानि हुई। यही समस्या है। अन्य कुछ क्षेत्रों में जन घण्टों की क्षति कम हो सकती है, किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों सें यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे हमें भारी हानि हो सकती थी और इससे अन्य प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते थे, यह मानते हुए कि हमारे देश के लिए रक्षा सम्बन्धी कार्य कितने महत्त्वपूर्ण है हमारे रक्षा उत्पादन में 36·20 लाख टन के जन घण्टों की हानि हुई।

वर्ष 1980-81 में इण्डियन एअर लाइन्स को 2.48 करोड़ रु० का लाभ हुआ। एअर इण्डिया ने केवल अपना घाटा पूरा किया है, अपितु वर्ष 1981-82 की पहली तिमाही के दौरान इसने 1·98 करोड़ रु० का मुनाफा कमाया है।

वर्ष की अनिश्चितता के बावजूद हमें इस वर्ष अच्छी फसल होने की आशा हैं, हमें यह सन्तोषजनक वर्ष लगता है, वर्षा की अनिश्चितता के कारण जोखिम से बचने के लिए हमने ऐसे

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

समय में गेहूं का आयात करना उचित समझा जबकि यह आसानी से उपलब्ध हो ताकि बाद में बेईमान लोग स्थिति का अनुचित लाभ न उठा सकें।

यह बात काफी दिलचस्प लगी कि कोई अन्य वैध मुद्दा नहीं मिला तो विरोधी पक्ष में अनेक सदस्यों ने भारीव र्षा की बात कहकर व्यर्थ तर्कों पर जोर डाला। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वे जिन क्षेत्रों में गये हैं, वहां वे कितनी वर्षा कराने में समर्थ हुए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पूर्णतय : तहस नहस कर दिया गया था, का विस्तार किया गया है, किन्तु मैं पहली शक्स हूं जो यह स्वीकार करती हूं कि यह कदम किसी भी रूप में कारगर नहीं होंगा जब तक इसे सुदृढ़ बनाकर सभी वर्गों के लोगों को समान नहीं पहुँच सकेगा, जैसा कि पहुँचना चाहिए। इसीलिए हम इस दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारा जोर आधारभूत ढांचे में सुधार करने पर है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि इनके बिना हम किसी अन्य समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

यह कहना गलत है कि बेरोजगारी के बारे में हम चिन्तित नहीं हैं, हस चिन्तित हैं, किन्तु आप ऐसा कहकर बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते। हमने इस पर विचार किया है और इसके आधार पर भी विचार किया है। बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हुआ है, सुधार हो रहा और सुधार होगा। यदि सभी बातें ठीक ढंग से चलती हैं और जो प्रयास हम कर रहे हैं तथा एक बार जैसे ही आधारभूत ढांचा स्थापित होता है, जैसा कि किया जा रहा है, तो अन्य कार्यक्रमों के के लिए यह लाभदायक होगा। उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि करने से ही रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक गतिविधि किसी है किसी गतिविधि से जुड़ी हुई है, उद्योग कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि औद्योगिक उत्पादन से जुड़ा हुआ है।

अनेक लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने का प्रश्न उठाया है और इस पर बोले हैं। उन्होंने वित्त मन्त्री के साथ पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। बिरला संस्थान से लिए गए कुछ उद्धरणों तथा दिए गए कुछ तर्कों को सुनकर मुझे आश्चर्य ही हुआ। कोई भी देश आज एक दूसरे पर निर्भर किए बिना नहीं रह सकता, किंतु यह पारस्परिक निर्भरता अपनी स्वाधीनता पर आश्रित होना चाहिए। भारत इसी संदेश को विश्वभर में ले जाने की कोशिश कर रहा है और अपने देश में भी हम इसको लागू करने की कोशिश कर रहें हैं। परन्तु अब अपनी अर्थ व्यवस्था को बर्तमान स्थिति में जबकि हम इसे भारी घाटे की स्थिति में पाते हैं, जैसाकि पहले कभी नहीं हुआ जनता पार्टी ने हमें यह उपहार दिया था, अत: हमें धन की आवश्यकता होती है। तो उसमें सुधार करने के लिए ऋण लेना नितान्त आवश्यक है। पहले हमारे यहाँ कुछ भी नही किया गया और यदि हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए धन की आवश्यकता होगी ही। जैसा कि वित्तमंत्री ने बताया है कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शर्त का सवाल नही है जो हमारी नीति, जिसे संसद ने स्वीकार किया है अथवा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो। अत: इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)। हमने यह बात अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पक्के तौर पर कह दी है। अब हम महसूस करते हैं कि ये शर्तें यदि हम प्रारम्भिक सहायता लेते हैं, तो हमारे हित में होनी चाहिए। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण से एक बड़ी योजना तैयार की है।

कुछ लोगों ने व्यंग्य किया है, किन्तु उनमें से अधिकांश लोगों को पूरी जानकारी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर से पहली बार ही ऋण ले रहे है। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था मूल रूप से इतनी मजबूत नहीं थी अथवा हमारी बातचीत करने की स्थिति हमसे पहले इतनी अच्छी कभी नहीं थी, जितनी कि अब है।

विश्व के प्रत्येक देश को पता है कि मेरी सरकार ऐसी सरकार नहीं है जिस पर राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक रूप से कोई दबाव डाला जा सके जहां तक घरेलू स्थिति का सम्बन्ध है कोई भी मुझ पर आत्मतुष्टि का आरोप नहीं लगा सकता। हम स्थिति के खतरों को देख रहे हैं और हमने अपनी चौकसी कम नहीं की है। कमजोरी तथा खतरा तो है और हमें उससे लड़ना होगा। परन्तु इसी के साथ-साथ हमें अपनी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। साम्प्रदायिकता का तो खतरा बराबर बना हुआ है। जब तक देश में अग्रवादीतथा धर्मोन्मादी व्यक्ति चाहे वे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई अथवा कोई अन्य हों, है तब तक हम सांस नहीं ले सके, हमें देश में इस वातावरण को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

यह केवल कानून और व्यवस्था अथवा लोगों को दण्ड देने का प्रश्न नहीं है बल्कि हमें भाई-चारे के वातावरण की जरूरत है। लोगों में सहिष्णुता होनी चाहिए, बिहार शरीफ में एक बात की तरफ मेरा ध्यान दिलाया गया, वहां लोगों को ऐसा महसूस होता है कि दंगे राजनैतिक थे, जो लोग मुझसे मिले, वे हमारी पार्टी के आदमी नहीं थे, मैं बिना पूर्व सूचना के वहां गयी थी और सभी वर्गों के लोग मुझसे मिलने के लिए आये थे, लोग लाशें उठाने और दूसरे कामों में लगे थे, इसलिए यह यह मेरा स्व प्रेरित वक्तव्य है। (**व्यवधान**)

मेहरबानी करके अब आप चुप कीजिए, बहुत कर चुके हैं। जमशेदपुर के घटनाओं की जांच और जमशेदपुर की रिपोर्ट से जाहिर है किस प्रकार के तत्त्व इन कामों को कर रहे हैं। आप जानते हैं। मैं केवल आज ही उनका विरोध नहीं कर रही हूं बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले से ही जिन्दगी भर मैं ऐसे तत्त्वों से लड़ती रही हूं, इन लोगों ने और दूसरे लोगों के साथ स्वतन्त्रता को लड़ाई के दौरान और उसके बाद मेरे बारे में बहुत विष उगला मैं इसे जनसंघ ही कहूंगी। आप हजार बार नाम बदल लें पर यह जनसंघ ही रहेगा। हमारे महान नेता महात्मा गांधी के लिए इससे अधिक अशोभनीय और क्या हो सकता है जब कहा जाता है कि जनसंघ उनके सिद्धान्तों का अनुकरण कर रहा है, महात्मा गांधी या इस देश के लिए इससे अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। क्या वे हमें मूर्ख समझते हैं ? लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गोलवरलक जैसे उनके पूर्ववर्ती नेताओं के भाषणों को पढ़े, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के विचारों तथा नीतियों के बारे में उनके भाषण क्या कहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : मैं चाहता हूं कि आप उनके भाषणों को पढ़ें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने पढे हैं।

एक माननीय सदस्य : यदि आप अपनी याददाश्त ताजा कर लें तो अच्छा रहेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : आपने पढ़े नहीं हैं। आप सदन में इस तरह न बोलें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री बाजपेई मैं दृढ़ विश्वास से और बहुत दुख से बात कर रही हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत अच्छा नही लग रहा है कि माहत्मा गांधी सरीखे आदमी के प्रति इस देश में किसी के ऐसे विचार हैं लेकिन आप ऐसा सोचते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी (**व्यवधान**) यह गांधी वादी दृष्टिकोण नहीं है। यह इन्दिरा गांधी दृष्टिकोण है यदि आप गांधीवादी समाजवाद अंगीकार करना चाहते, तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। (**व्यवधान**)

श्रीमती इन्दिरा मांधी : वे सोचते हैं कि केवल हम लोथों को ही सहिष्णु होना चाहिए और हमें हर प्रकार की गालियाँ चरित्र हत्या और इस प्रकार की सभी अन्य बातें चुपचाप सुन लेनी चाहिए। वे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। चरित्र हत्या के सिलसिले में·····मुझे याद नहीं है वह कौन थे, मेरे ख्याल से विपक्ष के एक एक माननीय सदस्य श्री दण्डवते ने कहा था कि ऐसे मामलों में वे रुचि नहीं लेते। लेकिन विपक्ष में बैठें हुए सभी लोग जब उन दिनों इन्ही बातों में मशगूल थे, वे चुपचाप देखते रहे। अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहती लेकिन मैं एक मामले का उल्लेख करती हूं। आपको इस वारे में जानकारी हैं या नहीं लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ था जव मुझे गैर जमानती वारन्ट में मणिपुर और इम्फाल जाना पड़ा मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने एक आदमी को 2 मुर्गियां और 6 अण्डे चुराने के लिए उकसाया। जनता पार्टी के दौरान चरित्र और लोकतन्त्र के इतने ऊंचे सानक थे। और इस मामले के अधिकारी एक न्यायाधीश थे, वे ही अभियोजक थे तो वे ही उत्पीड़क थे। वे मणिपुर के सरकारी महाधिवक्ता थे और वे ही आयोग के अध्यक्ष भी थे।

मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि हमारे देश को साम्प्र दायिक तत्त्वों औ जाति-वादी तत्त्वों से सबसे खतरा हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों में सबसे ज्यादा घृणित यही है। हम बाहरी खतरों से आसानी से निपट सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा है साम्प्रदायिक तत्त्व उस दीमक की तरह है जो लकड़ी या अनाज को भीतर से खा जाते हैं। और इसमें केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक ही शामिल नहीं है। साम्प्रदायिक तत्वों के अनेक रूपों में बड़े बड़े संगठन हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि केवल एक ही धर्म के लोग साम्प्रदायिक हैं। ऐसे लोग हर धर्म में हैं और धर्म के बारे में जो भी आदमी अतिवादी हैं। वह दूसरे अतिवादी लोगों के बीच आम भड़कते है। इसलिये हमें इन सब से चौकस रहना है।

जब से वर्तमान सरकार ने कार्य भार संभाला है, उसने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है जोकि समुदाय के जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिये अनिवार्य है। हमने प्राथमिक कार्य के प्रति पूरी आस्था के साथ कार्य किया है और दूसरे निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप, कतिपय तत्त्वों, कतिपय राजनैतिक दलों द्वारा हर महत्त्वपूर्ण अथवा महत्त्वहीन मामलों पर आन्दोलन चलाये जाने के बावजूद, स्थिति में सुधार हुआ है। विगत कुछ महीनों में हिंसा हत्याओं और डराने धमकाने की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आयी है यद्यपि अपराध होना बंद नहीं हुआ हैं। कुछ क्षेत्रों में गियोजित रूप में चोरियों तथा डकैतियों की घटनायें हुई हैं। परन्तु मेरे विचार से हम यह कह सकते हैं कि समूचे तौर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाला तंत्र समाज विरोधी तत्त्वों की गतिविधियों को अंकुश रखने में सफल हुआ हैं (**व्यवधान**) जय जनता पार्टी शासन में आई थी—ये लोग भी—तब समान विरोधी तत्त्व, तस्कर और ऐसे ही लोगों को

रिहा कर दिया गया था। हमने तो उन्हें रिहा नहीं किया था। कुछ समाज विरोधी तत्वों को स्वागत समारोहों में सम्मनित किया गया था। इन्हें पुष्पहार पहनाये गये थे उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे। अब अयानक ही यह कह देना कि, जबकि इन तत्वों को छोड़ दिया गया है। उन्हें पकड़ लो, यथार्थवादिता नहीं है। किसी ने गलाधारियों का नाम लिया। माननीय सदस्य को यह जानने में होगी कि इन लोगों के नाम सन्देह प्रद व्यक्तियों की सूची से वर्ष 1977 में ही हटाये गये थे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब क्या हुआ ?

श्री जेठमलानी : यह एक गलत वक्तव्य है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह गलत वक्तव्य नहीं है।

श्री जेठमलानी : महोदया, कृपया अपने रिकार्ड देख कर जांच कीजिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी मुझे यह जानकारी रिकार्ड में ही दी गई है। मैं मन से क्यों गढ़ूं। मुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या क्या मामले थे उनके विरुद्ध (**व्यवधान**)।

महिलाओं के प्रति अपराध होना हम सबके लिए निश्चय ही शर्म की बात है। मुझे बताया गया है कि ऐसी घटनाओं में अब कमी आती जा रही है और कानून तथा तंत्र इस बारे में सतर्क है। परन्तु दुर्भाग्य से ये घटनाएं फिर भी हो रही रही हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के पश्चात् आशा है कि ऐसी घटनाओं पर और अधिक नियंत्रण हो सकेगा। यहां तक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जनता तथा पड़ौसियों के मत का बहुत महत्व है।

हमारे विरोधी मित्र बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। वे चाहे जिस राज्य की बात कर बैठते हैं। परन्तु यदि हम पश्चिम बंगाल, और केरल का जिक्र करें तो वे उठ खड़े होते हैं। मैं इसके सिवाय कौर कुछ नहीं कहूंगी कि क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमारे लोगों को वहां मारा जा रहा है पहन्तु अन्य दलों के लोगों को नहीं।

श्री एम० एम० लारेंस (**इडुक्की**) : वर्ष 1959 से अब तक हम जानते हैं क्या कुछ हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे खुशी है कि आप को इतनी जरूर जानकारी है परन्तु सौभाग्य या दुर्भाग्य से, वह सारी की सारी सही नहीं है। क्यों कि आपके नेता जनता में कोई वात बार-बार दोहराते हैं, इसीलिए तो वह सब सच नहीं हो जाता। परन्तु कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि केरल में यदि भारतीय हो अथावा विदेशी वहां बड़ी संख्या में राजनैतिक हत्याएं हुई हैं। भारत के किसी भी भाग में, इतने बड़े पैमाने पर तो राजनेतिक हत्यायें कभी नहीं हुई (**व्यवधान**)

इस आरोप में कोई सत्य नहीं है कि मैं वहां की सरकार को उलटना चाहती हूं ऐसा सोचना या तो अपनी दोषी भावना को प्रकट करना है या फिर वे स्वयं ऐसा चाहते हैं। मैं किसी सरकार को पलटना नहीं चाहती हूं और राज्यों में मेरे जाने का मुख्य मंत्रियों द्वारा स्वागत किया गया है

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

जहां कहीं भी मैं अब तक गई हूं—क्योंकि इससे हमें विभिन्न स्वीकृत कार्यक्रमों, की क्रियान्विति से, विशेषतया उन कार्यक्रमों की जो हमारी योजना में जुड़े हैं, इसकी बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मैं केन्द्रीय अधिकारियों के साथ जाती हूं या वे मुझसे पहले जाते हैं और बाद तक वहाँ रहते हैं, और फिर मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही करते हैं तथा उन राज्यों की मदद करने की कोशिश करते हैं जहां जहां हम कर सकते हैं।

नैतिक मूल्यों तथा आचर संहिता को लेकर काफी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या श्री अन्तुले के न्यास के मामले में मेरे नाम का प्रयोग किया गया था। जब यह प्रश्न वित्त मंत्री से पूछा गया था तब मेरे सभा में रहने का कोई प्रश्न नहीं था। जब एक प्रश्न मुझसे भुवनेश्वर में पूछा गया था तब मैंने कोई संकोच नहीं किया था और इसका तुरन्त उत्तर दे दिया था। अगर वे अन्य प्रश्न पूछते तो मैं उनका भी उत्तर देती। मैंने तो सभी प्रश्नों का उत्त र दिया था। जब श्री अन्तुले ने इस न्यास के बारे में मुझे बताया—श्री कौशल ने इसके उद्देश्य पढ़कर सुनाए थे। मैंने सोचा कि अच्छे उद्देश्य थे। मैंने माना था कि कलाकारों की सहायता करना एक अच्छा विचार है। जब 1965 में मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री थी, बहुत से कलाकार कुछ मांग लेकर मेरे पास आये थे। अत: जब श्री अन्तुले ने मुझे बताया कि यह ट्रस्ट युवा कलाकारों की सहायता करेगा। मैंने इसे एक अच्छा विचार समझा। इस दृष्टि से मैंने अपना आशीर्वाद जरूर दिया। जब उन्होंने मेरे नाम के लिए पूछा तो मैंने उसे सलाह दी थी कि वह इसका उपयोग न करें इसलिग नहीं कि उद्देश्य बुरे थे या कि न्यास बनाना बुरा था, बल्कि में अपने नाम को अनुमान देना पसन्द नहीं करती चाहे वह न्यास हो था अस्पताल हो या कोई अन्य संस्थान हो। मुख्य मन्त्री तथा अन्य लोगों से ऐसे कितने ही अनुरोध मुझे मिलते हैं·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने यह बात पहले क्यों नहीं कही ? आप यह बात बहुत पहले भी कह सकती थीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री इन्द्रजीत गुप्त जी शायद आप रुक गए होते परन्तु इस बारे में मुझे शक है कि अन्य शायद न रुके होते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका क्या नुकसान होता ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मुझे लाभ अथवा हानि की चिंता नहीं है। मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है और मैं उस तरफ चलती रहूंगी। अपने अन्तिम सांस तक मैं उस ओर चती रहूंगी, अन्य लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। मेरी इस बारे में कोई रुचि नहीं कि इसकी सरकार है अथवा उसकी सरकार है अथवा कौन गद्दी पर है। मैं जब सत्ता में नहीं थी तब भी मैंने अपना काम जारी रखा। मैं अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटी। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं जीतती हूँ अथवा हारती हूं। काँग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने गांधीवादी अनुशासन देखा है वे गांधीवादी सिद्धांतों को नए अपनाने वालों से नैतिकता तथा आधार संहिता के बारे में कोई भाषण सुनना नहीं चाहते। मैं बाइबिल की एक उक्ति का उदाहरण देती हूं जिसमें कहा गया हैं, "चिकित्सक, अपना ईलाज करो।" तथापि, मैं चाहती हूं कि सभा तथा राष्ट्र यह जान ले कि मेरी सरकार तथा मेरी पार्टी सार्वजनिक जीवन में आचार के उच्चमत सिद्धांतों की समर्थक है और यह सुनिश्चित करना

चाहती है कि उन सिद्धांतों और ईमानदारी की बातों का न केवल उद सभी के द्वारा पालन किया जाए जो शक्तियों का उपयोग करते हैं परन्तु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा लगे कि उनका पालन किया जा रहा है। (व्यवधान)

मैंने गढ़वाल में स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि कौन किस को पीट रहा हैं, कौन वादों को तोड़ रहा है जैसा कि मैंने पहले कहा स्वयं मेरे कर्मचारियों को धमकी दी गई।

श्री अटल बिहारी वाजयेयी : किस के द्वारा।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मैं आपके प्रश्न के बारे में रुचि नहीं रखती। यहाँ पर मेरे एक मित्र ने कहा, यदि आप में हिम्मत थी तो आपको उस समय त्यागपत्र देना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके कर्मचारियों को धमकी देने की हिम्मत कौन दिखा सकता है ? वहां पर स्वयं आप की सरकार है।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : आप को हैरानी होगी कि जहाँ पर गुन्डे हों वे हिम्मत करते है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब वहां पर पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस तैनात थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पंजाब की पुलिस वहाँ पर नहीं थी। मैं वहाँ पर कुछ बाद में गई थी।

आपके लोगों द्वारा मुझे अनेक बार पीटा गया है। वे लोग कौन थे, मैं नहीं जानती। परन्तु उन तीन वर्षों में देश के विभन्न भागों में मेरे ऊपर आक्रमण किए गए थे ; मेरे जीवन पर आक्रमण किए गए थे। (**व्यवधान**)। हमने ऐसे आक्रमण नहीं किए हैं। (**व्यवधान**)

दुर्भाग्य से प्रांतीयता को भी बढ़ावा दिया गया था। अब केन्द्र-राज्य तनाव को उभारने की कोशिशें की जा रही हैं। एक अत्यन्त असाधारण स्थिति पैदा हो गई है जिसमें एक राज्य सरकार कह रही है हम आलोचना को स्वीकार नहीं करते परन्तु हम उसकी सहायता लेंगे।

मेरे द्वारा राज्यों का दौरा करने के जानबूझकर गलत अर्थ लगाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा उनका उद्देश्य उन विकास कार्यक्रमों के बारे में अच्छी सद्भावना पैदा करना और समन्वय स्थापित करना था जिनमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें अर्न्तग्रस्त हों। वे निरीक्षण दौरे नहीं थे। हम यह देखने नहीं गए थे कि राज्य सरकार अपना काम किस ढंग से कर रही है। उनका उद्देश्य समस्याओं का हल खोजना था और अनेक स्थानों पर समस्याओं को हल भी किया गया और स्थिति में तत्काल सुधार हुआ। वह दिन बहुत बुरा होगा जिस दिन भारत के प्रधान मन्त्री ने देश भर में विकास कार्यों में रुचि लेना समाप्त कर दिया।

शाँति को खतरा केवल जातीयता और साम्प्रदायिकता से ही नहीं आता परन्तु कुण्ठित लोगों से तथा ऐसे तत्वों से आता है जो किसी प्रकार से अशांति फैलाना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा जो दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं उनको उस समय हैरानी

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

नहीं होनी चाहिए । जब उन पर पत्थर फेंके ,जायें । जिन पार्टियों का रिकार्ड शासन काल के दौरान तथा शासन के पूर्व, पश्चात अथवा दौरान में जिनका आचरण सराहनीय रहा है वे हमारे काम में दोष निकाल रही हैं । मैं यह नहीं कहती कि हममें से सब लोग देवता हैं। किसी भी दल में केवल देवता ही हैं। जहां पर भी हमने गलत देखा उसे हमने निरन्तर कोशिश की है, ठीक करने की । मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि हमारा दल अन्यों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है..... (व्यवधान) । परन्तु यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं ।

जहां तक विदेश नीति का संबंध है यह विशेषरूप से विक्कत का समय है। मुझे बहुत ही दुख है कि आप विदेश नीति पर आज चर्चा के पक्ष में नहीं । इससे पता चलता है कि आप इस बारे में रुचि नहीं रखते ।

एक मानीय सदस्य : कल हम उस पर चर्चा करेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कल आए अथवा न आए । कोई नहीं जानता कि उससे पहले क्या हो जाये ।

श्री वाजपेयी तथा उनके कुछ सहायक यह कहते हैं कि मैं यहां की बातों से दिखाने के लिए विदेश नीति का मामला उठा रही हूं । मेरे पिता ने मेरे बचपन में मुझे यह शिक्षा दी थी कि हर बात खुली होनी चाहिये और मैं हमेशा इसी ढंग से जिन्दा रही हूं । अत: जब मैं किन्ही हालत को देखती हूं मैं उनके बारे में बोलती हूं और यही कारण है कि हम किसी समय दिक्कतों में फंस जाते हैं क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जो लोग ढंग की स्पष्टबादिता को पसन्द नहीं करते ।

इस में कोई शक नहीं कि खतरे बढ़ गये है । विश्व भर के नेताओं द्वारा यह स्वीकार किया जाता है । हमारे निकट पड़ौस में तो ऐसा और भी स्पष्ट रूप से है । हालांकि हमारा कोई दोष नहीं है, परन्तु फिर भी खतरा हैं और हमें अपने आपको उसके लिये तैयार करना है ।

शायद आपने आज के अखबारों में यह प्रकाशित हुआ देखा है कि हमारे पड़ौसी को एफ-16 विमानों की तेजी से सप्लाई करने का अन्तिम निर्णय किया गया है । जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रश्न यह नहीं है कि क्या किसी विशिष्ट देश के पास अधिक अथवा कम होना चाहिये परन्तु इसके पीछे सारी मनोवृत्ति की बात है और इसके कारण उत्पन्न असन्तुलन के द्वारा जो तनाव पैदा होगा उसकी बात है, जो इसके कारण पैदा हो चुका है और जिसके कारण हमें बहुत सावधान होना होगा और यह देखना होगा कि हमारे क्षेत्र की शांति, जो कि अशांत है, किसी प्रकार से पुन: स्थापित हो ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारे पड़ौसी ने अत्यन्त आधुनिक हथियार प्राप्त करने जोकि हमारे वास के हथियारों से एक पीढ़ी आगे है, का औचित्य सिद्ध करते हुए हमारे ऊपर हथियार जमा करने के अनुचित आरोप लगाये है । उसी वक्यव्य में उन्होंने शिमला समझौते का उल्लेख किया है । हम शिमला समझौते की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं और हम पाकिस्तान द्वारा भी उसी प्रकार की नीति के अनुसरण का स्वागत करेंगे । परन्तु उनकी कार्यवाहियां शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत तथा समस्याओं के सैनिक हल के विचारों अथवा नीतियों को छोडने के अनुरूप नहीं हैं । हम यह नहीं समझते कि आधुतिक हथियार जो वे प्राप्त कर रहे है शिमला समझौते की भावना

के अनुरूप हैं। वे द्विपक्षीय मामलों को उठाने के किसी अवसर को नहीं छोडते। शिमला समझौते की शर्तों में से यह पहली एक शर्त थी कि ऐसे मामलों पर आपस में बातचीत की जानी चाहिये। यह विदेशी स्थिति के पुनरीक्षण में गहरे जाने का अवसर नहीं है, मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया है क्यों कि शीघ्र ही संसद के सत्र का समापन हो जायेगा और मैंने सोचा कि मैं अपने विचार आपके सामने रखूं।

हम सब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की अत्यन्त गम्भीरता या नाजुकता को जानते हैं। मैं नहीं जानती कि क्या विपक्ष इसको नहीं समझता अथवा क्या इसका केवल यह विचार है कि परेशानियां पैदा करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। मैं इस सभा के बारे में नहीं कह रही, जो कुछ प्रायः बाहर होता है उसकी बात कर रही हूं। यदि आप यह समझते है कि आप इससे सरकार को कमजोर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा परन्तु आप असन्तोष का वातावरण पैदा करते हैं। किसी समुदाय अथवा किसी देश के लिए यह सबसे बड़ी कमजोरी की बात है। यदि आप किसी व्यक्ति से आशा हीन लेंगे—किसी समय भी मैंने यह नहीं कहा कि मैं व्यक्तिगत रुप से अधिक उत्पादन का कारण बनी हूं। हर एक भाषण में मैंने इस बात पर बल दिया है कि भारत के किसानों ने, जो नए विचारों तरीकों को स्वीकार करने को तत्पर थे, अपने उत्पादन में वृद्धि की और हमें आत्मनिर्भर बनाया। यह भारत का औद्योगिक श्रमिक है जिसने पसीने और मेहनत के द्वारा उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है और हमें अपने उद्योगों में विविधता लाने में सहायता दी है। हमने कभी भी यह नहीं कहा कि हमने यह किया हैं। परन्तु हमने अपनी नीति से उनकी सहायता की है, हमने निदेश देकर उनकी सहायता की है और सबसे ऊपर हमने उनको आशाएं दिखाकर सहायता दी है। आप उनसे यह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर हमारा झगड़ा है और झगड़े होने स्वाभाविक हैं, चाहे लोकतन्त्र हो अथवा लोकतन्त्र की प्रणाली न हो। जहां पर भी मनुष्य है वहाँ पर झगड़े स्वाभाविक हैं। परन्तु ऐसे भी अवसर हैं जब किन्हीं मामलों पर हमें एक जुट होकर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। यह ठीक है कि युद्ध के समय हर कोई कहता हैं। "हम आपके साथ हैं और इस प्रकार की बातें···।" परन्तु शांति के काल में भी हमें इस आशय को बनाए रखना है, लोगों को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि इस देश का कोई भविष्य नहीं है। इसका भविष्य उज्जवल है और कदम कदम बढ़ाकर उस ओर जाना है। गुस्से में, ईर्ष्या में अथवा निराशा में कुछ विपक्षी लोग केवल देश के विरोधियों को बल दे रहे हैं जो अपने अखबारों और अन्य रूप से छापते है कि भारत टुकडे-टुकडे होकर गिर रहा है। परन्तु मैं जानती हूं कि सभा तथा देश का बड़ा भाग हमारे साथ होगा।

अब मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूं जोकि नेतृत्व के सम्बन्ध में है। मुझे बहुत ही निराशा है कि हमारे पक्ष के लोग इस मामले को उठाते रहते है, लोगों द्वारा इसे उठाने का केवल यही कारण है कि विपक्ष के द्वारा हमारे ऊपर आक्षेप लगाये जाते हैं। जब वे देखते है कि उनके नेता पर आक्रमण किया जा रहा है वे सभी यह सोचते हैं कि उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिये परन्तु उनको अच्छी तरह में यह पता होना चाहिये कि मैं अपने को बचाने के लिये पूरी तरह से समर्थ हूं।

प्रो० मधु दंडवते : वे केबल आपको बचाने के लिये आते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : और कभी कभी आपको बचाने के लिए भी (**व्यवधान**) मैं यह कहने की कोशिश कर रहीं हूं कि यद्यपि कांग्रेस पार्टी में हमशा एक मान्य नेता रहा है इसका अर्थ यह

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

नहीं है कि उस नेता के बिना पार्टी टूट जाती हैं। जब एक नेता हट जाता है तो शांतिपूर्ण लोकतान्त्रिक ढंग से उसका स्थानलेने के लिए दूसरा आगे आता है। यह महत्त्व की बात है कि नेता मजबूत है अथवा नहीं। परन्तु इससे भी महवत्पूर्ण बात यह है कि हमारे झगडों के बावजूज पार्टी को सुदृढ़ होना चाहिए। हमारी पार्टी में उतना कठोर अनुशासन नहीं है जितना कुछ पार्टियों में है। हम अपने लोगों को बोलने की अनुमति देते हैं। यह हमारी कमजोरी है और यह हमारी शक्ति है। परन्तु इन्दरा गाँधी हो अथवा न हो हमारी पार्टी मजबूत रहेगी। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो ऐसा कार्यक्रम अथवा नीतियां दे रही है जिनके कार्यान्वयन के द्वारा देश आगे बढेगा।

हमारा विचार यह है कि हम सभी समस्याओं को एक या दो पीढ़ी काल में हल नहीं कर सकती और हम क्या कोई भी नहीं कर सकता। हम यह आशा कर सकते है कि देश आगे ठीक दिशा में बढ़ता रहे और साथ ही हम यह सुनिश्चित करें कि देश की बागडोर ठीक हाथों में रहे जो आगे बढा सकें।

अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि सभी माननीय सदस्य इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार करें, कि सभी क्षेत्रों में आगे विषम स्थिति है कि हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए उचित कार्य करें। तथा इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने देश के या विदेशी ऐसे तत्त्वों का शिकार न बन जायें जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। धन्यवाद।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री समर मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री तथा दूसरे पक्ष के सभी मित्रों के भाषण ध्यानपूर्वक सुने हैं।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सम्पूर्ण स्थिति का उन्होंने जो मूल्याकंन किया है यह बिल्कुल अलग ढंग से किया है। दूसरे पक्ष के वक्ताओं और प्रधानमंत्री ने बढ़े ही सब्जबाग दिखायें हैं और कहा है कि हम अब विपत्ति से उबर गये हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ होती जा रही और भविष्य उज्जवल है। मेरे विचार से देश का भविष्य तो तभी उज्जवल होगा जबकि वर्तमान शासन पद्धति को उखाड़ फेंका जाये और उसके स्थान पर नयी शासन पद्धति लायी जाये।

उस दिन जबकि वर्तमान मूल्यों पर बहस चल रही थी तो मैंने वित्तमंत्रीको इस बात के लिए धन्यवाद दिया था कि उन्होंने तह बात स्वीकार कर ली है कि जब भी आप भारत और तिब्बत जायेंगे तो आप मूल्यों को बढ़ते हुए पायेंगे। उन्होंने कहा था :—

मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से नियन्त्रित अर्थव्यवस्था में जहां पूर्ति और उत्पादन को नियन्त्रण करना संभव होता है केवल वहीं मूल्यों पर नियन्त्रण करना सम्भव होता है।

यह उनकी स्वीकरोक्ति है। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमन्त्री तथा अन्य सभी यह बात स्वीकार करेंगे उन्होंने यह भी कहा था :